

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 18/06/2026

क्रमांक ESTB-1024/850/2025/20-2 :: संयुक्त संचालक बस्तर, जगदलपुर तथा जाँच दल द्वारा दिए गये जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (मूल पद प्राचार्य टी संवर्ग) द्वारा शासन निर्देशों के विपरीत प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से किए गए पदस्थापना स्थान में बिना काउंसलिंग किये पदांकित स्थान में संशोधन करने के जिम्मेदार पाए गये हैं।

2/ श्री अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता की गई है।

3/ श्री पटेल का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

4/ अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर को निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छ.ग नियत किया जाता है।

5/ निलंबन काल में, श्री अशोक कुमार पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

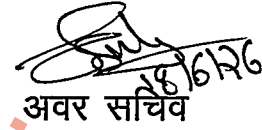

(संगीता भोले)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर
- 2) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर
- 3) कलेक्टर, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 4) संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग) उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 6) जिला कोषालय अधिकारी, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
- 7) श्री अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा :-संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8) ऑर्डर फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग